भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 597

बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

कर्नाटक में पीएम-एसजीएमबीवाई

597. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) की शुरुआत के बाद से इसकी मुख्य विशेषताएं और इसके अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, छतों पर सौर संयंत्रों के पूरे किए गए संस्थापन, स्थापित कुल रूफटॉप सोलर क्षमता और संवितरित केंद्रीय वित्तीय सहायता का विशेष रूप से कर्नाटक सहित राज्य-बार और जिला-बार ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक में इस योजना के तहत प्राप्त, स्वीकृत, लंबित आवेदनों और पूरे किए गए संस्थापन की संख्या कितनी है तथा सरकार द्वारा समय पर तकनीकी स्वीकृतियां, नेट-मीटरिंग और राजसहायता संवितरण की सुविधा प्रदान करने के लिए वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ समन्वय करके क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम की पहचान और विकास में क्या प्रगति हुई है तथा कर्नाटक में चिन्हित गांवों की सूची और स्वीकृत केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पंजीकृत विक्रेताओं के नेटवर्क का विस्तार करने, गिरवी-मुक्त ऋण सहित किफायती वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करने, उपभोक्ता जागरूकता को मजबूत करने और रूफटॉप सोलर को अपनाने में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ङ.): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, फरवरी 2024 से प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका लक्ष्य 75021 करोड़ रु. के कुल वित्तीय परिव्यय से वित्त वर्ष 2026-27 तक देश भर में एक करोड़ आवासीय घरों में रूफटॉप सौर प्रणालियों की स्थापना करना है।

पीएमएसजी: एमबीवाई एक मांग संचालित योजना है जिसमें देश के सभी आवासीय उपभोक्ता, जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम सहित ग्रिड-कनेक्टेड बिजली कनेक्शन है, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल

(www.pmsuryaghar.gov.in) पर आवेदन द्वारा आरटीएस प्रणालियों की स्थापना के लिए योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना के तहत, फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत के बाद से, कुल 39,38,805 आरटीएस प्रणालियां स्थापित की गई हैं, जिससे 47,64,657 घर लाभान्वित हुए हैं और दिनांक 20.07.2026 की स्थिति के अनुसार, देश भर में योजना के लाभार्थियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में 27,323.55 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

इसी प्रकार, कर्नाटक राज्य में, कुल 22,519 आरटीएस प्रणालियां स्थापित की गई हैं, जिससे 34,180 घर लाभान्वित हुए हैं और योजना के लाभार्थियों को सीएफए के रूप में 163.44 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। जिला-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

स्थापना दर में वृद्धि करने और कर्नाटक राज्य सहित देश भर में इस योजना को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण से लेकर आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सब्सिडी के सीधे वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो रेट प्लस 50 बीपीएस अर्थात् वर्तमान के लिए 5.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर 10 वर्ष की अवधि के लिए संपार्श्विक मुक्त (कोलेट्रल-फ्री) ऋण की उपलब्धता।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को माफ करके और 10 किलोवाट तक ऑटो लोड वृद्धि की शुरुआत करके, विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
- राष्ट्रीय पोर्टल में नेट मीटरिंग करार को आवेदन का एक हिस्सा बनाया गया।
- वेंडरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि पर्याप्त और योग्य वेंडर उपलब्ध हो सकें।
- कुशल मैनपावर तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन, टी.वी. विज्ञापन अभियानों, एफएम स्टेशनों सहित क्षेत्रीय चैनलों पर रेडियो अभियानों आदि के माध्यम से देश में जागरुकता और आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से योजना के बारे में जागरुकता पैदा करना।
- राज्यों/डिस्कॉमों सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है।
- क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित करना।
- शिकायतों के समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए शिकायत समाधान तंत्र स्थापित किया गया है। टेलीफोन नंबर 15555 वाला कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।

इसके अतिरिक्त, एमएनआरई और आरईसी लिमिटेड, पीएमएसजी: एमबीवाई के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA) के रूप में, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी डिस्कॉमों के साथ निकट समन्वय में कार्य करते हैं।

पीएमएसजी: एमबीवाई के मॉडल सोलर विलेज (MSV) घटक के तहत, MSV को नीचे दी गई सूची के अनुसार कर्नाटक के 12 जिलों में घोषित किया गया है:

क्र. सं.	**जिला**	**घोषित एमएसवी का नाम**
1.	मैसूर	वरकोडु
2.	मंड्या	अरकेरे
3.	चामराजनगर	हरदनहल्ली
4.	कोडागु	कुडू मंगलुरु
5.	हसन	हाले बीडु
6.	दक्षिण कन्नड़	पुतिगे
7.	उडुपी	कोट्टाथट्टु
8.	चिक्कमगलुरु	शकहरायपटना
9.	रायचूर	देवशुगुर
10.	बल्लारी	येशवंतनगर
11.	कोप्पल	हिंटल
12.	विजयनगर	होशहल्ली

दिनांक 20.7.2026 तक, कर्नाटक राज्य की MSV कार्यान्वयन एजेंसी को सेवा शुल्क के रूप में 20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है

अनुलग्नक-I

'कर्नाटक में पीएम-एसजीएमबीवाई' के संबंध में पूछे गए दिनांक 22.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 597 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

देश भर में पीएमएसजी:एमबीवाई के अंतर्गत की गई प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

(दिनांक 20.07.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	आवेदन (सं.)	स्थापना (सं.)	लाभान्वित घर (सं.)	स्थापित सौर क्षमता (मेगावाट में)	जारी सब्सिडी (करोड़ रु. में)
1	गुजरात	1164293	755882	1094168	2831.86	5597.04
2	महाराष्ट्र	1432463	679303	1060703	2494.04	5017.02
3	उत्तर प्रदेश	1151129	684592	692256	2307.77	4652.73
4	केरल	412990	299065	305911	1158.89	2043.61
5	राजस्थान	449733	265022	273833	1022.10	1815.39
6	आंध्र प्रदेश	917804	236286	240768	740.68	1352.11
7	मध्य प्रदेश	220489	152698	157791	571.13	1095.26
8	असम	467021	156204	156932	514.53	1139.93
9	ओडिशा	292940	135284	136356	343.52	692.34
10	हरियाणा	193044	111405	120995	365.49	730.11
11	तमिलनाडु	103282	83906	99321	303.63	576.66
12	उत्तराखंड	141154	94769	95133	341.34	719.59
13	छत्तीसगढ़	190125	79777	82243	285.10	493.39
14	तेलंगाना	86355	53397	68801	196.85	325.11
15	जम्मू एवं कश्मीर	92072	38473	38626	137.74	298.93
16	कर्नाटक	60973	22519	34180	91.64	163.44
17	बिहार	85588	23732	24374	85.74	160.87
18	पंजाब	27123	16947	16956	75.48	110.07
19	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	49018	10282	15086	45.53	70.82
20	हिमाचल प्रदेश	17425	11604	11630	39.81	87.00
21	मेघालय	1303	58	9304	0.18	0.31
22	पुदुचेरी	6314	4624	4701	16.45	31.31
23	गोवा	4666	3307	4548	27.21	22.58

24	त्रिपुरा	8361	4349	4361	14.92	32.52
25	झारखंड	11302	3166	3396	13.33	21.20
26	पश्चिम बंगाल	44625	2834	2941	9.35	8.43
27	लद्दाख	2619	1997	1997	6.61	14.94
28	मणिपुर	3212	1499	1499	5.82	11.38
29	चंडीगढ़	1709	1358	1358	5.56	8.28
30	मिजोरम	1521	1327	1330	5.35	10.43
31	लक्षद्वीप	1371	1176	1176	3.94	9.77
32	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	3498	1087	1087	2.95	5.40
33	नगालैंड	902	431	431	1.45	2.71
34	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	684	387	407	1.26	2.46
35	सिक्किम	177	57	57	0.19	0.37
36	अरुणाचल प्रदेश	83	1	1	0.00	0.01
	कुल	**76,47,368**	**39,38,805**	**47,64,657**	**14,067.43**	**27,323.55**

अनुलग्नक-II

'कर्नाटक में पीएम-एसजीएमबीवाई' के संबंध में पूछे गए दिनांक 22.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 597 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

कर्नाटक राज्य में पीएमएसजी:एमबीवाई के अंतर्गत की गई प्रगति का जिला वार विवरण

(दिनांक 20.07.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	जिला	आवेदन (सं.)	स्थापना (सं.)	लाभान्वित घर (सं.)	जारी की गई सब्सिडी (रु. करोड़ में)
1	बागलकोट	1090	501	501	3.56
2	बल्लारी	895	281	281	2.01
3	बेलगावी	2843	1093	1179	7.36
4	बेंगलुरु ग्रामीण	3126	552	552	3.70
5	बेंगलुरु शहरी	17583	8151	18193	63.90
6	बीदर	428	109	110	0.73
7	चामराजनगर	166	76	76	0.51
8	चिक्कबल्लपुर	3312	66	66	0.35
9	चिक्कमगलुरु	1647	197	197	1.37
10	चित्रदुर्ग	1879	176	176	1.14
11	दक्षिण कन्नड़	3631	2708	3008	19.80
12	दावणगेरे	3082	348	924	2.13
13	धारवाड़	1115	766	766	5.42
14	गडग	316	148	148	1.05
15	हसन	953	245	245	1.56
16	हावेरी	571	152	152	1.06
17	कलबुर्गी	736	282	282	1.98
18	कोडागु	325	203	203	1.35
19	कोलार	2324	114	114	0.71
20	कोप्पल	900	142	142	0.93
21	मंड्या	962	198	238	1.30
22	मैसूर	2954	1819	2343	12.35
23	रायचूर	755	245	246	1.60
24	रामानगर	624	64	64	0.38
25	शिवमोगा	2050	725	815	5.11
26	तुमकुरु	1924	358	358	2.28
27	उडुपी	2273	1675	1675	12.04
28	उत्तर कन्नड़	1082	653	653	4.55
29	विजयनगर	343	165	166	1.03
30	विजयपुरा	909	284	284	2.00
31	यादगीर	175	23	23	0.16
	कुल	**60,973**	**22,519**	**34,180**	**163.44**
